

राहत | मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू की गई नई व्यवस्था, कम क्षमता वाले उद्योगों को मिलेगा लाभ निजी फर्मों से भी निरीक्षण करा सकेंगे उद्यमी

■ राजकुमार शर्मा

लखनऊ। सरकार ने उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें अपने प्रतिष्ठान का निरीक्षण कराने के नाम पर सरकारी लाल फीताशाही का शिकार नहीं होना पड़ेगा। वे श्रम विभाग की जगह थर्ड पार्टी ऑडिट करा सकेंगे, वो भी मनचाही निजी एजेंसी से। सब सही मिलने पर अगले तीन साल तक उन फर्मों पर कोई निरीक्षण नहीं होगा। यह सुविधा मध्यम जोखिम श्रेणी में आने वाले उद्योगों को दी गई है। इसमें 50 से अधिक व 100 से कम कामगार वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।

प्रदेश में कारोबारी सुगमता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए श्रम



**48 घंटे में
अपलोड करनी
होगी रिपोर्ट**

कानूनों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इसी क्रम में उद्यमियों को थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की सुविधा प्रदान की गई है। इसका लाभ प्रदेश की हजारों मध्यम जोखिम श्रेणी में आने वाले प्रतिष्ठानों को मिलेगा। श्रम विभाग के

गड़बड़ी पर जब्त होगी फर्म की जमानत राशि

श्रम कानून ऑडिटर फर्म को श्रमायुक्त कानपुर के पक्ष में एक लाख रुपये की जमानत राशि देनी होगी, जो वापसी योग्य होगी। गड़बड़ी रोकने को विभाग ने इन फर्मों को पाबंद भी किया है। किसी प्रतिष्ठान के ऑडिट रिपोर्ट में कोई अवलोकन पूरी तरह असत्य पाया जाता है तो सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसी फर्मों का इंपैनलमेंट दो वर्ष के लिए होगा।

इस योजना का लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा, जो इसके लिए नामांकन कराएंगे और विभाग से थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए संपर्क करेंगी। श्रम कानून ऑडिटर फर्म विभाग द्वारा दी तैयार चेक लिस्ट के आधार पर प्रतिष्ठानों का ऑडिट करेंगी। उन्हें 48 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इस योजना में नामांकन न कराने वाले प्रतिष्ठानों का केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के तहत वार्षिक निरीक्षण श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख सचिव डा. एन. शन्मुगा सुंदरम द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में दो तरह की फर्में थर्ड पार्टी ऑडिट कर सकेंगी। इसमें श्रम कानून ऑडिटर फर्म और तकनीकी ऑडिटर फर्म शामिल हैं। इन फर्मों के लिए जरूरी

पात्रता भी विभाग ने तय कर दी है। प्रमुख सचिव श्रम डा. एम. शन्मुगा सुंदरम के अनुसार थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रणाली का उद्देश्य प्रतिष्ठानों एवं कारखानों में कारोबार की सुगमता में वृद्धि करना है।